प्रपत्र सं०–562

न्यायालय, भूमि सुधार उप समहार्त्ता, बुण्डू (राँची)

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक तारीख...तक

जिला–..........राँची....., दाखिल खारिज अपील वाद संख्या–10 सन्–2019–20।

अधिनियम–....बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम, 2011 की धारा–7 के तहत दाखिल खारिज अपील वाद.......।

अर्जीकार–आसा देवी बनाम प्रतिपक्षी–अंचल अधिकारी, बुण्डू वगैरह।

आदेश

7.09.2020

अपीलार्थी–आसा देवी, पति–मुडा अहीर, निवास सा०–गोसांईडीह, पो०–काँची, थाना–बुण्डू, जिला–राँची ने अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से अंचलाधिकारी, बुण्डू के द्वारा नामांतरण मुकदमा सं०–127 R27/2017-2018/बुण्डू में दिनांक–05/01/2018 को पारित आदेश के विरूद्ध यह अपील दायर किया है। जिसके द्वारा निम्न भूमि का नामांतरण अस्वीकृत किया गया।

भूमि विवरणी

मौजा	थाना	थाना सं०	खाता सं०	खेसरा सं०	रकवा
गोसाईंडीह	बुण्डू	0013	16	657	48 डी०

चौहदीः– उ०–सुन्दर अहीर, द०–सुन्दर अहीर, पू०–मागरू अहीर, प०–सुन्दर अहीर।

सुनवाई हेतु इस अपील वाद को ग्रहण किया गया। आवेदक की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता अपने आवेदन में निम्न उल्लेख किए हैं कि–

01. यह कि उपरोक्त वर्णत भूमि को अपीलार्थी आसा देवी ने दिनांक–30/07/1976 ई० को निबंधित डीड सं०–8725 के माध्यम से श्री रामकृष्ण पाण्डे पिता–स्व० गोविन्द पान्डे, अनन्त पान्डे पिता–स्व० गोविन्द पान्डे, निवास ग्राम–बुण्डू, थाना–बुण्डू डाकघर–काँची, जिला–राँची से नियमानुसार खरीदा है।

02. आवेदक जमीन खरीदने के उपरांत उक्त जमीन पर वर्त्तमान में शांतिपूर्ण दखलकार है।

सुनवाई के दौरान अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुना। उनका कहना है कि पंजी।। रैयत से विक्रेता का संबंध पिता–पुत्र का है। निम्न न्यायालय में सुनवाई की तिथि को आवेदक भूमि से संबंधित वांछित कागजात के साथ उपस्थित नहीं होने के कारण नामांतरण अस्वीकृत किया गया। अतएव विद्वान अधिवक्ता अनुरोध करते हैं कि आवेदित भूमि का दाखिल खारिज हेतु अंचल अधिकारी, बुण्डू को आदेश देने की कृपा की जाए।

अपीलार्थी द्वारा इस वाद में समर्पित निम्न न्यायालय द्वारा नामांतरण मुकदमा सं०–127 R27/2017-2018/बुण्डू का अस्वीकृति की सूचना की प्रमाणित प्रतिलिपि की छायाप्रति एवं संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। राजस्व कर्मचारी के मंतव्यानुसार

	आदेश
07.09.2020	दखल–कब्जा स्पष्ट नहीं है तथा अंचलाधिकारी, बुण्डू के मंतव्यानुसार सुनवाई की तिथि को आवेदक भूमि से संबंधित वांछित कागजातों के साथ उपस्थित नहीं हुए। साथ ही संलग्न वंशावली के अनुसार पंजी।। रैयत से विक्रेता का संबंध स्पष्ट नहीं है। अतः इस स्थिति में नामांतरण अस्वीकृत किया गया है।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुनने तथा अपीलार्थी द्वारा दाखिल किए गए दस्तावेजों के अवलोकनोपरांत अपीलार्थी के आवेदन को स्वीकृत किया जाता है एवं अंचलाधिकारी, बुण्डू के द्वारा पारित आदेश को निरस्त करते हुए उन्हें इस निदेश के साथ प्रतिप्रेषित (REMAND) किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा वांछित कागजात एवं सत्यापित वंशावली प्राप्त करते हुए एवं स्थानीय जाँचोपरांत दाखिल खारिज हेतु नए सिरे से विधि सम्मत आदेश पारित करना सुनिश्चित करेंगे।

इस आदेश की प्रतिलिपि को अंचल अधिकारी, बुण्डू को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
बुण्डू(राँची)।

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
बुण्डू(राँची)।